

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या- 84 आ.न.यो./नौ-8-17-36आ.न.यो.(बजट)/16
लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2017

शुद्धिपत्र

आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु नगर पंचायत-बनकटी, जनपद-बस्ती को शासनादेश संख्या-07/2017/1991आ.न.यो./9-8-16-36आ.न.यो.(बजट)/ 2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा 18 निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रूपये 325.34 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 162.67 लाख की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2017 में शासनादेश निर्गत किये जाने की "दिनांक 04 जनवरी, 2017" के स्थान पर त्रुटिवश "दिनांक 03 जनवरी, 2017" अंकित हो गया है।

2. अतः आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत-बनकटी, जनपद-बस्ती को शासनादेश संख्या-07/2017/1991आ.न.यो./9-8-16-36आ.न.यो.(बजट)/ 2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा 18 निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रूपये 325.34 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 162.67 लाख की वित्तीय स्वीकृत विषयक शासनादेश में, शासनादेश निर्गत किये जाने की "दिनांक 03 जनवरी, 2017" के स्थान पर शासनादेश निर्गत किये जाने की "दिनांक 04 जनवरी, 2017" पढ़ा जाय।

3. शासनादेश दिनांक 03.01.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

उमा शंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्यय)अनुभाग-1,2
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)
अनुसचिव।